न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–143/13

1. श्रीमती फूली पत्नी स्व. श्री सरदारा,
2. हनुमान पुत्र सरदारा, जाति बैरवा (चमार) निवासी ढाणी चन्दला, ग्राम खेलना, तहसील कोटपुतली, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. बन्ना पुत्र गोपी (मृतक दौराने अपील)
   1/1. श्रीमती लाडी देवी पत्नी स्व. श्री बन्ना,
   1/2. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र स्व. श्री बन्ना,
   1/3. मनोज पुत्र स्व. श्री बन्ना, समस्त जाति गुर्जर, निवासीयान ग्राम खेलना, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
   1/4. श्रीमती सरोज पत्नी श्री तुलसी राम पुत्री स्व. श्री बन्ना,
   1/5. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री कैलाश पुत्री स्व. श्री बन्ना,
   1/6. श्रीमती सुमन पत्नी श्री बालकिशन उर्फ भागचन्द पुत्री स्व. श्री बन्ना समस्त जाति गुर्जर, निवासीयान ग्राम ईसला (घाटा) तहसील थानागाजी, जिला अलवर।
2. सरदारा,
3. उमराव,
4. रामकुंवार पुत्रान गोपी पुत्र रामलाल गुर्जर,
5. सुरजा पुत्र श्री रामलाल गुर्जर,
6. नाथू पुत्रान रामलाल गुर्जर, समस्त जाति गुर्जरान, निवासी ग्राम खेलना, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
7. सरकार जरिये तहसीलदार कोटपुतली, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 09.10.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली के आदेश दिनांक 16.02.2013 (प्रकरण संख्या 52/2012) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 1062/2 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1065/2 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा अपीलान्ट के पूर्वज मांग्या पुत्र भूदा चमार की खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 1062/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1065/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा वाके ग्राम खेलना, तहसील कोटपुतली रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज रामलाल पुत्र श्योजी की स्थित है, जिनके हाल खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1952 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1953 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1956 रकबा 0.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.47 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1958 रकबा 0.43 हैक्टयर वाके मौजा खेलना, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थित है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेशकर यह इस्तदुआ मांग कि कि खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.17 हैक्टयर में से 0.07 हैक्टयर भूमि जो अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज है, को रेस्पोडेन्ट के नाम लगायी जावे तथा खसरा नम्बर 1952 रकबा 0.21 हैक्टयर खसरा नम्बर 1953 रकबा 0.08 हैक्टयर, जो रेस्पोडेन्ट्स के नाम खातेदारी में दर्ज है, को अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावे अधीनस्थ न्यायालय ने मिन अपीलान्ट को सूने बगैर अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर विधि विधान के विपरित एवं रूयेदाद मिसल अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1951 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1957 रकबा 0.17 हैक्टयर भूमि की खातेदारी एवं कब्जा काश्त मिन अपीलान्ट्स के हक में 50 वर्षो से अर्थात गत सेटेलमेन्ट कार्यवाही के पूर्व समय से ही चला आ रहा है, अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधनों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अवैध होने से खारिज योग्य है। उन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपुतली में मुकदमा संख्या 696/2006 पक्षकारान के मध्या चला था जिसमें रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1951, 1957 के बाबत काउन्टर क्लेम पेश किया था, जो खारिज हो चुका था जिससे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से प्रतिबंधित एवं बेअसर थी तथा कानूनन मैन्टेनेबल नही थी। उन्होने आगे कथन किया है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत रिकार्ड ऑफ राईटस में किसी गत इन्द्राज को ही दुरूस्त किया जा सकता है किसी की खातेदारी की भूमि की खातेदारी दीगर व्यक्ति के नाम ट्रान्सफर नही की जा सकती, ना ही अदला–बदली की जा सकती है, जो ट्रान्सफर ऑफ प्रोपटी एक्ट की धारा 54 के नियमों के विरूद्ध है तथा ऐसी घोषणा का दावा लाने पर ही नियमित कोर्ट ही दावा डिक्री कर सकती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही बिना जॉच किये प्रीज्यूडिस होकर एवं अज्ञानता का परिचय देते हुए की है, जिससे अपीलाधीन निर्णय स्वतः ही निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत भी प्रभावशून्य है क्योंकि अपीलान्ट अनुसूचित जाति के काश्तकारान है जिनकी आराजी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम किसी आदेश या डिक्री के द्वारा भी नही की जा सकती है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा नियमित वाद मे रेस्पोडेन्ट का उक्त वादग्रस्त भूमि के बाबत प्रतिवाद पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के पश्चात् पुनः उसी अनुतोष के बाबत अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय में समरी ट्रायल धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत गलत अनुतोष पारित किया है जिससे भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर एवं बार्ड बॉय लॉ होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, एवं 2 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बर 1951/0.28, खसरा नम्बर 1952/0.21, खसरा नम्बर 1953/0.08, खसरा नम्बर 1956/0.42, खसरा नम्बर 1957/0.17, हैक्टयर, खसरा नम्बर 1958/0.43, हैक्टयर वाके मौजा खेलना स्थित है जिनमें खसरा नम्बर 1951/0.28, हैक्टयर, खसरा नम्बर 1956/0.42 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 1957 का 0.07 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट की है और इसी प्रकार से वे मौके पर काबिज कदीम से चले आ रहे है एवं खसरा नम्बर 1952/0.21, खसरा नम्बर 1953/0.08, खसरा नम्बर 1958/0.43, खसरा नम्बर 1957/0.10 भूमि उत्तरी तरफ पर अपीलान्ट काबिज चले आ रहे है लेकिन भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा दोनों के साबिक खसरा नम्बर एक ही होने के कारण खसरा नम्बर 1951/0.28 हैक्टयर भूमि को एवं खसरा नम्बर 1957/0.07 भूमि को अपीलान्ट के नाम से गलत तौर पर दर्ज कर दिया व खसरा नम्बर 1953/0.21, 1953/0.08 जो अपीलान्ट की भूमि है, वह रेस्पोडेन्ट के नाम गलत दर्ज कर दिया गया, इस प्रकार से भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करके वाद उत्पन्न कर दिया है, उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स इस गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर एवं अपने आपको अनुसूचित जाति का सदस्य बताकर प्रार्थीगण को खसरा नम्बरा 1951 से जिनमें मकानात व हवेली कदीम से बने हुये है, से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है इसलिये राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार कोटपुतली से जवाब प्रार्थना पत्र लेकर एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट साबिक खसरा नम्बर 1062/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1065/2 का रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा के पूर्वज मांग्या पुत्र भूदा चमान की खातेदार कहकर आये है वही रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 1062/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1065 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल 3 बीघा रेस्पोडेन्ट के पूर्वज रामलाल पुत्र

संभागीय आयुक्त
जयपुर

श्योजी गुर्जर की खातेदार कह रहे जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में खसरा नम्बर 1952, 1953, 1956 का रकबा 0.71 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज रिकार्ड है तो वही हाल खसरा नम्बरान 1951, 1957, 1958 का रकबा 0.88 हैक्टयर अपीलान्ट्स के नाम दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में साबिक व हाल खसरा नम्बरान का रकबा मेल नही खाता है, इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा नम्बर 1951/0.28, 1957/0.17 में 0.07 हैक्टयर अपीलान्ट के खाते से हटाई जाकर रेस्पोडेन्ट के नाम अंकन करने के तथा खसरा नम्बरान 1952/0.21, 1953/0.08 से रेस्पोडेन्ट का नाम हटाया जाकर अपीलान्ट के नाम अंकन के आदेश दिये गये है जबकि अपीलाधीन आदेश से भी उक्त खसरा नम्बरान का रकबा साबिक खसरा नम्बरान से मेल नही खाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2013 त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतजली का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2013 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोटपुतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं प्रकरण में तहसीलदार कोटपुतली से विस्तृत रिपोर्ट लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सभागीय आयुक्त,
जयपुर।